(80)

## माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्र.
नि/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/4276

श्रीमति अरुणा रघुवंशी पत्नी प्रतापभानु रघुवंशी
द्वारा मुख्तार आम प्रतापभानु रघुवंशी
पुत्री स्व. श्री अजीतसिंह रघुवंशी, निवासी ए-२२/२, HDFC कॉलोनी, चिंचवड, पुणे ४११०१९

.....निगरानीकर्ता / आवेदक

वनाम

1. राहुलसिंह पुत्र उत्तमसिंह रघुवंशी द्वारा मुख्तार आम उत्तमसिंह रघुव अंशी पुत्र स्व.श्रीअजीतसिंह रघुवंशी, निवासी C-16, इन्द्रपुरी भोपाल ४६२०२१
2. अनुविभागीय अधिकारी महो. जिला अशोकनगर, तहसील अशोकनगर म.प्र.

.....प्रतिनिगरानीकर्ता / अनावेदक

धारा ५ व् १२ अधिनियम १९६३ के अंतर्गत आवेदन को निरस्त करने से परिवेदित होकर, श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, अशोकनगर, न्यायालय प्र. क्र.४२/अपील/२०१५-१६, आदेश दिनांक २५.१०.२०१७ के विरुद्ध अपील व् निगरानी हेतु धारा ५० म. प्र. भू. रा. संहिता १९५९ के अंतर्गत आवेदन |

**माननीय महोदय,**

प्रकरण का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि:-

1. अनावेदक श्री उत्तमसिंह रघुवंशी जो मेरे सगे भाई हैं, ने पिताश्री स्व. अजीतसिंह रघुवंशी के देहावसान (दि. २५.७.२००८) के बाद अशोकनगर कि लगभग सारी संम्पति (९९%) अपने पुत्र राहुल रघुवंशी के नाम वसीहत कराकर, राजस्व अदिकारियों से मिलिभगत कर, हितबद्ध पक्छकारों को वगैर कोई सूचना दिए दि.२५.९.२००८ को पंजी न. ७९ के द्वारा वगैर कोई पूर्व सहमति के,अपनी मर्जी अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति का बटवारा कर, नामांतरण करा लिया| जिसकी जानकारी आवेदक को दिनांक ९/७/२०१० को हुयी, आवेदिका को पुणे से काफी दौड़-धूप के बाद भी कॉपी न मिलने पर, पति प्रतापभानु ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत नामांतरण पंजी व् शपथ पत्र कि कॉपी न मिलने पर दि. ५.७.२०११ को माननीय सूचना आयुक्त भोपाल को अपील क्र. ३७६५/ ११ दायर कि एवं जिसके **फैसले में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि तत्कालीन लोकसूचना अधिकारी (तहसीलदार) ने**

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/4276/2017

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14-2-19 | आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। अनावेदककी ओर से श्री कुंअरसिंह कुशवाह उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण कमांक 42/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.9.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-<br>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-<br>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा।<br>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।<br><br>पेशी दिनांक 15/4/19<br>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर | सदस्य |